भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना - 06/2024

फ़ाइल सं. 13-28/1/2024-इंजीजी-नौमनि	दिनांक- 13.02.2024

विषय: गैसों या अन्य लो–फ्लैशप्वाइंट ईंधनों का प्रयोग करने वाले पोतों के लिए सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय संहिता (आईजीएफ संहिता) और इसकी प्रयोज्यता - संबंधी।

1. पृष्ठभूमि और प्रयोजन:

1.1. इस वापोप सूचना का प्रयोजन आईजीएफ संहिता और इसके संशोधनों के संबंध में प्रयोजनीय प्रक्रियाओं पर स्वामियों/ प्रचालकों, मान्यता प्राप्त संगठनों, मास्टरों और संगत हितधारियों को सूचित करना है। गैसों या अन्य फ्लैशप्वाइंट ईंधनों का प्रयोग करने वाले पोतों के लिए सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय संहिता (आईजीएफ संहिता) संकल्प एमएससी.391 (95) और एमएससी.392 (95) द्वारा आईएमओ की समुद्रीय सुरक्षा समितीय द्वारा अंगीकार की गई थी। आईजीएफ संहिता को सोलास II-1/2.29 में और सोलास कन्वेन्शन के अध्याय II-1 के नए भाग जी में परिभाषित करके फ्लैशप्वाइंट ईंधन का प्रयोग करने वाले पोतों हेतु प्रयोज्यता और अपेक्षाओं को स्थापित किया गया है (सोलास II-1/56 और 57 का अवलोकन करें)।

1.2. आईजीएफ संहिता के आधारभूत दर्शन में आईएमओ लक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण पर विचार किया गया है (एमएससी.1/परिपत्र.1394 और इसके संशोधनों को अवलोकन करें)। इसलिए, विचार किए जाने वाले मुख्य क्षेत्रों के रूप में, फ्लैशप्वाइंट ईंधन का प्रयोग करने वाले पोतों के अभिकल्प, निर्माण और प्रचालन हेतु आधार बनने वाले प्रत्येक खंड हेतु लक्ष्य और कार्यात्मक अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गईं थी।

1.3. संहिता के वर्तमान संस्करण में वह विनियम शामिल हैं जिनसे प्राकृतिक गैस ईंधन हेतु कार्यात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। अन्य लो-फ्लैशप्वाइंट ईंधनों हेतु विनियमों को आईजीएफ संहिता में तब जोड़ा जाएगा जब संगठन द्वारा इन्हें विकसित कर लिया जाएगा। इस बीच, अन्य लो-फ्लैशप्वाइंट ईंधनों के लिए, आईजीएफ संहिता की कार्यात्मक अपेक्षाओं का पालन करने के लिए वैकल्पिक अभिकल्प के माध्यम से प्रदर्शित अवश्य किया जाए।

2. प्रयोग और कार्यान्वयन:

2.1. संहिता समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन (सोलास) कन्वेन्शन के अध्याय II-1 के भाग जी द्वारा शासित जलयानों पर लागू होता है; इसलिए जिन नए पोतों पर गैस या अन्य लो-फ्लैशप्वाइंट ईंधनों का प्रयोग होता है वे आईजीएफ की संहिता की अपेक्षाओं का पालन करेंगे, यह आरंभिक रूप से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) को केन्द्र बिंदु में रखते हुए लो-फ्लैशप्वाइंट ईंधनों का प्रयोग करने वाली व्यवस्था, संस्थापना, मशीनरी उपकरण और प्रणालियों के नियंत्रण और अनुवीक्षण हेतु ये प्रावधान अनिवार्य है।

9वी मंजिल, बीटा बिल्डींग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजूर गाँव रोड, कंजूरमार्ग(पूर्व), मंबई - 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फोन/Tel.: 91-22-25752040/1/2/3, फैक्स/Fax.: 91-22-25752029/35 ई-मेल/E-mail :dgship-dgs@nic.in वेबसाईट/Website: www.dgshipping.gov.in

3.3. 2 ईंधन वाले इंजनों से जो इस संहिता (प्रायोगिक ईंधन के साथ) और और तेल ईंधन द्वारा कवर किए गए ईंधन का प्रयोग करते हैं। तेल ईंधनों में आसवित और अवशिष्ट ईंधन शामिल हैं।

3.4. ईंधन रखने की प्रणाली ईंधन के भंडारण की वह व्यवस्था है जिसमें टैंक के कनेक्शन शामिल हैं। इनमें वे शामिल हैं जिनमें एक प्राइमरी और सेकेन्डरी बैरियर, इनसे जुड़े इन्सुलेशन और कोई बीच की जगहें हों तो वे और यदि इन घटकों के सहयोग हेतु आवश्यक हो तो इनसे लगी हुई संरचना फिट हो। यदि सेकेन्डरी बैरियर नौतल का भाग हो तो यह ईंधन भंडारण को धारण करने की जगह की सीमा होगी।

3.5. गैस का अर्थ है कि ऐसा द्रव 37.8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर वाष्पन दबाव 0.28 एमपीए एब्सोल्यूट से अधिक हो।

3.6. खतरनाक क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है जिसमें विस्फोटक गैस वातावरण हो या ऐसी प्रत्याशा हो कि ऐसा है, जो इतने परिमाण में हो जितने के लिए उपकरण के निर्माण, संस्थापना और इसके प्रयोग हेतु विशेष सावधानियों की आवश्यकता हो।

3.7. उच्च दबाव का आशय उस अधिकतम कार्यशील दबाव से है जो 1.0 एमपीए से अधिक हो।

3.8. एलईएल का आशय अपेक्षाकृत रूप से कम विस्फोटक सीमा से है।

3.9. एलएनजी से आशय तरलीकृत प्राकृतिक गैस से है।

3.10. लोडिंग लिमिट (एलएल) से आशय उस अधिकतम अनुमति योग्य तरल परिमाण से है जो टैंक में लोड किए जा सकने लायक टैंक के परिमाण की सापेक्ष है।

3.11. लो-फ्लैशप्वाइंट ईंधन से आशय उस गैसीय या तरल ईंधन से है जिसका फ्लैशप्वाइंट सोलास विनियम II-2/4 के परिच्छेद 2.1.1 के अंतर्गत अन्यथा रूप से अनुमत अपेक्षाकृत रूप से कम हो।

3.12. जोखिम वह अभिव्यक्ति है जिसमें परिणामों की संभावना और इनकी भयावहता का मिला-जुला रूप हो।

3.13. शक्ति की अस्वीकार्य क्षति से आशय, सोलास विनियम II-1/26.3 के अनुसरण में, इससे से है कि अनिवार्य अनुषंगियों में से कोई एक कार्य न करे तो उस दशा में प्रणोदन मशीनरी का सामान्य प्रचालन बनाए न रखा जा सके या फिर से इसे न चलाया जाना संभव न हो।

4. अभिकल्प यानी डिज़ाइन

4.1.जिन पोतों पर वापोप सूचना लागू होती है उनका डिज़ाइन आईजीएफ संहिता की प्रयोजनीय अपेक्षाओं के अनुसरण में होगा।

4.2. यह डिज़ाइन मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित होगा।

5. निर्माण

5.1. जिन पोतों पर यह सूचना लागू होती है उनका निर्माण आईजीएफ संहिता की प्रयोजनीय अपेक्षाओं के अनुसार होगा।

5.2. निर्माण का अनुमोदन और पर्यवेक्षण मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जाएगा।

5.3. निर्माण पूरा हो जाने पर मान्यता प्राप्त संगठन प्रयोजनीय सुरक्षा निर्माण प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें यह विनिर्दिष्ट होगा कि पोत "ईंधन के रूप में "एलएनजी" का प्रयोग करने के संबंध में कन्वेन्शन के अध्याय ॥-1 के भाग जी" के अनुरूप है।

6. वैकल्पिक डिज़ाइन

6.1. संहिता में लो-फ्लेशप्वाइंट ईंधनों को प्रयोग में लाए जाने के संबंध में समस्त उपस्करों और व्यवस्थाओं हेतु कार्यात्मक अपेक्षाएं निहित हैं।

6.2. लो-फ्लेशप्वाइंट ईंधन प्रणालियों के ईंधन, उपस्कर और व्यवस्थाएं इनमें से हो सकती हैं:

6.2.1. इस संहिता जो दी गई हैं उनसे भिन्न हों, या

6.2.2. उन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि इस संहिता में विशिष्ट रूप से बताए गए ईंधन को प्रयोग में लाने के लिए न हों

6.2.3. ऐसे ईंधन, उपस्कर और व्यवस्थाएं प्रयोग में लाई जा सकती हैं बशर्ते ये संबंधित लष्य और कार्यात्मक अपेक्षाओं के अभिप्राय पर खरी उतरती हों और संगत अध्यायों की सुरक्षा के समकक्ष स्तर की हों।

6.3. सोलास विनियम ॥-1/55 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से वैकल्पिक डिज़ाइन की समानता को प्रदर्शित किया जाएगा और इसका अनुमोदन वर्ष 3013 के नौमनि आदेश सं. 06 के अनुसार प्रशासन द्वारा प्राधिकृत मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा किया जाएगा। तथापि, किसी फिटिंग, सामग्री, उपस्कर, उपकरण और उपकरण की मद, या उसके किसी प्रकार जो कि संहिता द्वारा

विहित हो उस विशेष के विकल्प के तौर पर लगाए जाने के लिए प्रचालनात्मक पद्धतियों या प्रक्रियाओं हेत अनुमति नहीं देगा।

7. प्रचालनात्मक अपेक्षाएं

7.1. जो भी पोत इस सूचना द्वारा कवर होगा वह अपने साथ पोत पर आईजीएफ संहिता की प्रति लेकर चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण स्वीकार्य हैं।

7.2. गैस संबंधी संस्थाओं के लिए अनुरक्षण प्रक्रियाएं और सूचना पोत पर उपलब्ध होगी तथा इसमें वे सभी क्षेत्र और प्रणालियां शामिल होंगी जिनकी वजह से गैस रिस सकती हो और उनसे संबंधित जोखिम हों।

7.3. प्रत्येक पोत पर उपयुक्त रूप से विस्तृत ईंधन हैंडलिंग मैनुअल उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षित कार्मिक ईंधन बंकरिंग, भंडारण और अंतरण प्रणालियों का प्रचालन सुरक्षाप्रद रीति से कर सकते हैं। इस ईंधन हैंडलिंग मैनुअल की निहित सामग्री को इस सूचना के परिच्छेद 8.4 में और अधिक पूरी तरह से बताया गया है।

7.4. प्रत्येक पोत पर उपयुक्त आपातकालिक प्रक्रियाएं उपलब्ध होंगी जो ईंधन हैंडलिंग प्रणालियों के सभी पहलुओं को कवर करती होंगी। इसके अलावा आपातकालिक प्रक्रियाएं ऐसे किसी उपकरण को आपातकालिक रूप से बंद किए जाने (ईएसडी) हेतु उपलब्ध होंगी, निश्चित प्रकार की असामान्य स्थितियों के अंतर्गत जिसके खतरनाक हो जाने की संभावना हो।

8. बंकरिंग प्रचालन

8.1. बंकरिंग के किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले इसे प्राप्त करने वाले पोत का मास्टर या उसका पदनामित प्रतिनिधि और बंकरिंग स्रोत का प्रतिनिधि (प्रभारी व्यक्ति) होंगे:

8.1.1. लिखित रूप से कूलिंग डाउन और यदि आवश्यक हुआ तो गैसिंग अप, समस्त अवस्थाओं में अंतरण की अधिकतम दर, और अंतरित किए जाने वाले परिमाण सहित अंतरण प्रक्रिया पर सहमत होगा।

8.1.2. आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई पर लिखित रूप से सहमत होगा; और

8.1.3. बंकरिंग सुरक्षा जांच सूची को भर कर हस्ताक्षर करेगा।

8.2. आईजीएफ संहिता के परिच्छेद 6.8.1 के अनुसरण में, तरलीकृत गैस के भंडारण टैंकों में बंकरिंग प्रचालनों के दौरान संदर्भगत तापमान पर 98% के बराबर से अधिक परिमाण में इन्हें नहीं भरा जाएगा।

8.3. बंकरिंग प्रचालनों के पूरा हो जाने पर पोत पीआईसी सुपुर्द किए गए ईंधन हेतु बंकर डिलीवरी नोट लेकर इस पर हस्ताक्षर करेगा इसमें कम से कम वह जानकारी निहित होगी जो इस

सूचना के अनुलग्नक -1 में विनिर्दिष्ट है, इसे बंकरिंग स्रोत पीआईसी द्वारा भर कर हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

8.4. इस सूचना के परिच्छेद 7.3 द्वारा अपेक्षित ईंधन हैंडलिंग मैनुअल जलयान की सुरक्षा प्रबंधक प्रणाली (एसएमएस) का भाग होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे किंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

8.4.1 सिस्टम के कूल डाउन और वार्म अप होने की प्रक्रियाओं, बंकर लोडिंग और जहां समुचित हो वहां डिस्चार्जिंग, सैम्पलिंग, इनर्टिंग और गैस फ्री करने सहित ड्राई डॉक से ड्राई तक पोत का समग्र प्रचालन;

8.4.2 बंकर तापमान और दबाव नियंत्रण, अलार्म और सुरक्षा प्रणालियां;

8.4.3 न्यूनतम ईंधन तापमान, अधिकतम टैंक दबाव, अंतरण रेट, भरे जाने की सीमाएं और स्लॉशिंग सीमाओं सहित प्रणाली की सीमाएं, कूल डाउन रेट, और बंकरिंग से पहले ईंधन भंडारण टैंक के अधिकतम तापमान;

8.4.4 इनर्ट गैस प्रणालियों का प्रचालन;

8.4.5 अग्निशमन प्रणालियों के प्रचालन तथा अनुरक्षण और अग्निशाम एजेंटों को प्रयोग सहित अग्निशमन तथा आपातकालिक प्रक्रियाएं;

8.4.6 ईंधन विशेष की सुरक्षाप्रद हैडलिंग के लिए विशिष्ट ईंधन विशेषताएं और आवश्यक विशेष उपकरण;

8.4.7 फिक्स और पोर्टेबल गैस प्रचालन तथा उपकरण का अनुरक्षण;

8.4.8 जहां फिट किए हों वहां आपातकालिक शटडाउन और आपातकालिक रिलीज़ सिस्टम;

8.4.9 बंकरिंग सुरक्षा जांच सूची का प्रोफार्मा, जिसकी एक प्रति की प्रत्येक प्रचालन के दौरान समीक्षा कर, इसे भर कर इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे; और

8.4.10 रिसाव, आग लगने या संभावित रूप से ईंधन का स्तर ऊपर नीचे होने के कारण लुढ़कने जैसी आपातकालिक स्थिति में प्रक्रियात्मक कार्रवाइयों का विवरण।

8.5 सफलतापूर्वक सत्यापन का प्रलेखन दोनों पीआईसी द्वारा हस्ताक्षरित बंकरिंग सुरक्षा जांच सूची पर पारस्परिक रूप से सहमति और इसे निष्पादित करके विनिर्दिष्ट होगी।

8.6 बंकरिंग प्रचालन में शामिल सभी कार्मिकों से पीआईसी की सीधी और तत्काल बातचीत होगी तथा ऐसी बातचीत बंकरिंग प्रचालनों के दौरान दोनों पीआईसी के बीच सदैव बनाई रखी जाएगी।

8.7 बंकरिंग में प्रयुक्त संचार उपकरण प्रशासन को स्वीकार्य ऐसे उपकरणों हेतु मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप होंगे। शिप शोर लिंक (एसएसएल) या समकक्ष साधन बंकरिंग स्रोत को उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे ईएसडी संचार स्वत: हो जाए, यह प्राप्त करने वाले पोत और डिलीवर करने

वाली सुविधा ईएसडी प्रणाली के अनुरूप होगा।

8.8 बंकरिंग के लिए प्रयुक्त डिलीवर करने वाली सुविधा द्वारा उपलब्ध करवाए गए होज़, अंतरण शाखाएं पाइपिंग और फिटिंग वैद्युत रूप से निरंतर, उपयुक्त रूप से इन्सुलेटेड होंगे और मान्यता प्राप्त मानक के अनुसार यह सुरक्षा अनुपालन स्तर उपलब्ध करवाएंगे।

8.9 ईंधन अंतरण के दौरान अग्नि सुरक्षा सावधानियों की सूची बनाकर बंकरिंग क्षेत्र के एक्सेस प्वाइंटों पर चेतावनी के संकेत लगाए जाएंगे।

8.10 अंतरण प्रचालनों के दौरान बंकरिंग मैनीफोल्ड ऐरिया में अनिवार्य कर्मचारी मात्र ही कार्मिक होंगे। कार्य पर लगाए गए या प्रचालनों के आसपास की जगह पर कार्य कर रहे सभी कर्मचारी समुचित व्यैक्तिक संरक्षी उपस्कर (पीपीई) पहनेगें। अंतरण हेत अपेक्षित स्थितियों को बनाए न रख पाने की दशा में प्रचालन रोक दिए जाएंगे और जब तक समस्त अपेक्षित स्थितियां ठीक नहीं कर दी जाती जब अंतरण आरंभ नहीं किया जाएगा।

9. अनुरक्षण अपेक्षाएं

9.1 समस्त अनुरक्षण प्रक्रियाओं में टैंक के स्थानों और इससे जुड़ी जगहों पर विचार किया जाना शामिल होगा जिसमें इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि पोत से संबंधित सुरक्षा प्रचालन तथा अन्य कौन से खतरे हो सकते हैं।

9.2 तरलीकृत गैस ईंधन कंटेनमेन्ट प्रणाली हेतु निरीक्षण/सर्वेक्षण प्रशासन की ओर कार्य कर रहे आरओ द्वारा विकसित और अनुमोदित की जाएगी। निरीक्षण/सर्वेक्षण योजना उन पहलुओं की पहचान करेगी जिनकी तरलीकृत गैस ईंधन कंटेनमेन्ट प्रणाली के पूरे जीवनकाल में सर्वेक्षणों के दौरान परीक्षा की जाएगी और/या मान्यता प्रदान की जाएगी। यह हर आवश्यक इन-सर्विस सर्वेक्षण, अनुरक्षण और वह जांच जो तरलीकृत गैस ईंधन कंटेनमेन्ट प्रणाली डिज़ाइन मापदंडों को चुने जाते समय समझी गई थी। यह उसकी भी पहचान करेगी। समस्त इन-सर्विस सर्वेक्षण, अनुरक्षण और ईंधन कंटेनमेन्ट प्रणाली की जांच आवश्यक रूप से योजना के अनुसार की जाएगी।

9.3 प्रक्रियाओं और सूचना में विस्फोटक खतरनाक जगहों में संस्थापित इलेक्ट्रीकल उपकरण का अनुरक्षण शामिल होगा। विस्फोटक खतरनाक स्थानों में इलेक्ट्रीकल संस्थापनाओं का निरीक्षण और अनुरक्षण मान्यता प्राप्त मानक के अनुसार किया जाएगा।

10. बंद जगह में प्रवेश

10.1 सामान्य प्रचालनात्मक परिस्थितियों के अंतर्गत कार्मिक ईंधन टैंकों, ईंधन भंडारण की जगहों, खाली जगहों, टैंक कनेक्शन की जगहों या अन्य ऐसी बंद जगहों में प्रवेश नहीं करेंगे जहां गैस या ज्वलनशील वाष्प एकत्र किए जाते हों। कार्मिक इन बंद जगहों पर तभी प्रवेश कर सकेगें जब इस जगह की वातावरण में गैस का निहितांश नियम या पोर्टेबल उपकरण के साधन से निर्धारित किया गया हो जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पर्याप्त आक्सीजन उपलब्ध है और वहां

कोई विस्फोटक वातावरण नहीं है।

10.2 जिस जगह को खतरनाक माना गया हो उस जगह पर कार्मिक चिंगारी के किसी ऐसे संभावित स्रोत को उस जगह के भीतर प्रविष्ट नहीं करवाएंगे जब तक कि यह प्रमाणित न हो जाए कि अब इसमें गैस नहीं है और यह उसी गैस रहित अवस्था में है।

11. जोखिम मूल्यांकन

11.1 जोखिम मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि पोत पर व्यक्तियों , वातावरण, पोत की संरचनात्मक सुदृढता या इस पर विश्वसनीयता पर प्रतिकूल असर डालने वाले लो-फ्लैशप्वाइंट ईंधनों के प्रयोग की वजह से होने वाले जोखिमों का निवारण कर दिया गया है। किसी औचित्य संगत पूर्वानुमान लगाए जाने लायक असफलता के उपरांत भौतिक विन्यास, प्रचालन तथा अनुरक्षण से जुड़े खतरों पर विचार किया जाना चाहिए।

11.2 जिन पोतों पर भाग ए-1 लागू होता है उन पर जोखिम मूल्यांकन 4.2.1 द्वारा अपेक्षित रूप से किया जाना तभी आवश्यक होगा जब यह अनुलग्नक के परिच्छेद 4.4 और 6.8 के साथ-साथ परिच्छेद 5.10.5, 5.12.3, 6.4.1.1, 6.4.15.4.7.2, 8.3.1.1,13.4.1, 13.7 और 15.8.1.10 द्वारा सुस्पष्ट रूप से अपेक्षित हो।

11.3. स्वीकार्य और मान्यता प्राप्त जोखिम विश्लेषण तकनीकों और कार्य के नुकसान, घटक को क्षति, आग, विस्फोट और बिजली के झटके को न्यूनतम मानते हुए जोखिमों का विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण से यह सुनिश्चित होगा कि यथा संभव रूप से जोखिमों को समाप्त कर दिया गया है जिन जोखिमों को समाप्त नहीं किया जा सकेगा उन्हें यथावश्यक रूप से कम कर दिया जाएगा। जोखिमों के विवरण और जिन साधनों के द्वारा उन्हें कम किया गया है उनका प्रलेखन प्रशासन के संतोष के अनुसार किया जाएगा।

12. ड्रिल और आपातकालिक अभ्यास

12.1. पोत पर ड्रिल और आपातकालिक अभ्यास नियमित अंतरालों पर किए जाएंगे।

12.2. ऐसे गैस संबंधी अभ्यासों में उदाहरण के लिए निम्नलिखित शामिल होंगे:

- टेबलटॉप अभ्यास
- 18.2.3 द्वारा अपेक्षित ईंधन हैंडलिंग मैनुअल में दी गई ईंधन भरने की प्रक्रियाओं की समीक्षा;
- संभावित आकस्मिकताओं का प्रतिकार;
- आकस्मिक प्रतिकार हेतु अभीष्ट उपकरण की जांच; और समीक्षाएं जिनके लिए तय समुद्रकर्मी ईंधन भरने और आकस्मिक प्रतिकार के दौरान उन्हें दी गई ड्यूटियों को करने में प्रशिक्षित हों।

12.2. गैस संबंधी अभ्यास सोलास कन्वेन्शन द्वारा अपेक्षित आवधिक ड्रिलों में शामिल किए जाएं।

13. प्रशिक्षण

कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि पोतस्थ समुद्रकर्मी उन गैसों या अन्य लो-फ्लैश्प्वाइंट ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि आईजीएफ संहिता (विनियम V/3) के अधीन पोतस्थ सेवा हेतु नौमनि परिपत्र (नॉटिकल/इंजीनियरिंग) 3/2021 में दी गई नई प्रशिक्षण अपेक्षाओं के अनुसरण में योग्यता प्राप्त और प्रमाणपत्रित हों, जिन्होंने सफलतापूर्वक अनुमोदित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और यह साक्ष्य उपलब्ध करा दिया गया हो कि उन्होंने तरलीकृत गैस टैंकरों की पोतस्थ सेवा हेतु अनुभव अपेक्षाएं तथा प्रशिक्षण अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं और यथा संशोधित एसटीसीडब्ल्यू कन्वेन्शन और संहिता में दिए गए प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निभाए जाने वाले कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की पूर्ति किए जाने हेतु क्षमता के लिए समुचित रूप से उपयुक्त योग्यताओं को प्राप्त करने हेतु नौमनि एसडीसीडबल्यू 2010 परिपत्र सं. 13/ 2019 और नौमनि एसडीसीडबल्यू 2010 परिपत्र सं. 14/2019 में यथोल्लिखित रूप से पोतस्थ तरलीकृत गैस टैंकरों पर सेवा करने हेत ुसमुद्रगामी सेवा और अनुभव अपेक्षाओं तथा प्रशिक्षण अपेक्षाओं पर खरे उतरने का प्रमाण उपलब्ध करवाया हो तथा अनुमोदित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और वह समुचित प्रमाणपत्र का धारक हो

इसे नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है और यह इस सूचना के जारी होने की तारीख से प्रवृत्त है।

अचा

(अनिरुद्ध चाकी)
इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक (तकनीकी)

संलग्न: यथोक्त

सेवा में,

1. प्रधान अधिकारी/ सवावि, मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/कांडला/कोच्चि
2. प्रभारी सर्वेक्षक, सवावि, गोवा/जामनगर/पोर्ट ब्लेयर/ विशाखापट्टनम/तूतीकोरिन/नोएडा/हल्दिया/पारादीप/ मंगलौर
3. सभी मान्यता प्राप्त संगठन
4. मुख्य सर्वेक्षक/नॉटिकल सलाहकार/ उप मुख्य पोत सर्वेक्षक
5. कंप्यूटर सेल को नौमनि की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु

(अस्वीकरण- हिन्दी या अंग्रेज़ी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।)